विकसित भारत के लिए कृषि योजनाएँ

भारत सरकार, किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू कर रही है, जो फसल उत्पादन से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। महत्वपूर्ण योजनाएँ और उनकी प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नानुसार है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 2019 में शुरू किया गया । इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000/- की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसान परिवारों की पहचान करते हैं। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। अगस्त-नवंबर 2024 की नवीनतम किस्त वितरण में किसानों को कुल 9.58 करोड़ रुपए का को लाभ मिला।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को खरीफ 2016 में किसानों को अप्रत्याशित आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से प्रभावित होने पर सहायता प्राप्त कर सकें।अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बंटाईदार और पट्टेदार किसान भी शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। किसानों के लिए देय अधिकतम प्रीमियम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:

- खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए – 2%

- रबी खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए – 1.5%
- वार्षिक व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए – 5%

पिछले आठ वर्षों में 1,55,977 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली है।ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों का पंजीकरण नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) पर किया जाता है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है। डाटा अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों पर निर्भर करती है। ऋणी किसानों के मामले में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसानों का डेटा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP) पर अपलोड करें। वहीं, गैर-ऋणी किसानों के लिए यह प्रक्रिया कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), विभिन्न एजेंसियों, किसान स्वयं समूह या अन्य अधिकृत मध्यस्थों द्वारा पूरी की जाती है। भुगतान और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाती है। प्रीमियम का भुगतान केवल NEFT के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किए जाते। इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जिससे सभी किसान सीधे पोर्टल पर पंजीकरण कर सकें व ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 2015-16 से लागू किया गया । इस योजना का उद्देश्य सिंचाई में निवेश को एकीकृत करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना और खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार कर जल की बर्बादी को कम करना है। इसके अलावा, यह भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती है और ट्रीटेड नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की संभावनाओं को तलाशकर पर्यावरण अनुकूल जल संरक्षण की स्थायी प्रथाओं को अपनाने पर जोर देती है। साथ ही, सटीक सिंचाई प्रणाली (Precision Irrigation System) में निजी निवेश को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के अंतर्गत " प्रति बूंद अधिक फसल " घटक के तहत माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाया जाता है। यह विशेष रूप से गन्ना, केला, कपास, धान जैसी जल-गहन फसलों में माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा देता है। योजना के तहत अनुबंध खेती (Contract Farming) को अपनाने वाले या पट्टे पर भूमि लेने वाले किसान और संस्थान भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। अब तक 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत लाया जा चुका है। "हर खेत को पानी" घटक के अंतर्गत खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाया जाता है, जिससे सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए NABARD के साथ ₹5,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है। 2021-26 के लिए इस योजना के तहत ₹93,068 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

नमो ड्रोन दीदी

नमो ड्रोन दीदी एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य DAY-NRLM के तहत महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना है, ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएँ प्रदान

कर सकें। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला स्व-सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे, जिससे की किसानों को किराये पर कृषि सेवाएँ (जैसे कि तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव) दे सकें एवं ड्रोन की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें।

इस पहल से प्रत्येक स्व-सहायता समूह को प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा ड्रोन की कुल लागत का 80% (अधिकतम ₹8 लाख तक) सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष राशि के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) से ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। ड्रोन की लागत पर 3% ब्याज दर पर किफायती ऋण की व्यवस्था की गई है।

इस योजना के अंतर्गत ड्रोन पैकेज में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी शामिल है, जिससे महिलाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सके। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा ड्रोन स्प्रे सेवा किराये पर किसानों को प्रदान करने से उन्हें वार्षिक ₹1 लाख की अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से बागवानी के समग्र विकास के लिए MIDH को लागू कर रहा है। यह एक केंद्रीकृत प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र (फल, सब्जियाँ, कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस) का समग्र रूप से विकास करना है। यह योजना क्षेत्र-आधारित और क्षेत्रीय रूप से भिन्न रणनीतियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, जो प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और उसके विविध कृषि-जलवायु लक्षणों के अनुरूप होते हैं। MIDH की उप-योजनाओं में नेशनल बागवानी मिशन (NHM), नेशनल हर्टिकल्चर बोर्ड (NHB), नेशनल बांस मिशन (NBM), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH) और उत्तर-पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH) शामिल हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को वर्ष 1998 में किसानों को कृषि निवेष और उत्पादन आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया । संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत KCC के माध्यम से ₹3.00 लाख तक के लघु अवधि कृषि ऋण पर 7% ब्याज प्रदान किया जाता है। यह योजना पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी कवर करती है। KCC के लिए पात्रता में स्वामित्व वाले कृषक, पट्टेदार किसान, मौखिक पट्टे पर खेती करने वाले किसान, बंटाईदार, और स्व-सहायता समूह (SHGs)/कृषक समूह (JLGs) शामिल हैं। KCC ऋण की पुनर्भुगतान अवधि उस फसल की अनुमानित कटाई और विपणन अवधि के अनुसार तय की जाती है, जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया है। अल्पकालिक उप-सीमा के तहत प्रत्येक निकासी को 12 महीनों के भीतर समायोजित किया जा सकता है, और इसके लिए बकाया शेष राशि को शून्य करने की

आवश्यकता नहीं होती। KCC ऋण का पुनर्भुगतान किसान मंडियों के कमीशन एजेंटों से भुगतान प्राप्त करते समय KCC-रुपे कार्ड के माध्यम से, बैंक शाखाओं या बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से, या हैंड-हेल्ड मशीनों का उपयोग करके किया जा सकता है। टर्म लोन घटक आमतौर पर 5 वर्षों के भीतर चुकना होता है, लेकिन निवेश की प्रकृति के आधार पर पुनर्भुगतान अवधि में लचीलापन हो सकता है। एक KCC सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा के परिणामस्वरूप फसल क्षेत्र, पैटर्न और उधारीकर्ता के प्रदर्शन में बदलाव के आधार पर सुविधा की जारी रखना, बढ़ाना या रद्द करना हो सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना को 2014-15 में लागू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट होती है, जो प्रत्येक किसान के कृषि भूमि के लिए प्रदान की जाती है। इसमें किसान की मृदा की स्थिति 12 मानकों के आधार पर दी जाती है, जिनमें N, P, K (मैक्रो-न्यूट्रिएंट्स), S (सेकेंडरी-न्यूट्रिएंट), Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स), और pH, EC, OC (भौतिक मानक) शामिल होते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर, SHC में खेत के लिए उर्वरक सिफारिशें और मृदा सुधार की आवश्यकता का विवरण भी दिया जाता है। कार्ड में किसान के खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति के आधार पर सलाह दी जाती है, जिसमें विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा, यह किसान को उन उर्वरकों और उनकी मात्रा के बारे में भी सलाह देता है, जिनका उपयोग कर वह मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर सर्वोत्तम उपज प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक खेत को हर 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है। अब तक 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHCs) किसानों को वितरित किए गए हैं।

PKVM/PC/2025/107

संकलन एवं सम्पादन

वी. लेनिन, सत्यप्रिय, सीताराम बिश्नोई, संगीता उपाध्याय, राहुल सिंह
एवं अविनाश कुशवाहा

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें

अध्यक्ष, कृषि प्रसार संभाग

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110 012
फ़ोन: 011-25846434, ई-मेल: head_exten@iari.res.in

मुद्रित

एमएस प्रिंटर्स, सी-108/1, बेक साइड, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-1, नई दिल्ली-110 028 फ़ोन: 011-45104606